I

BA Part II (H)
Paper III

Dr. Chiranjeev Kr Thakur
Assistant Professor (Gr.)
Department of Sociology
VSJ college Rajnagar.

जाति व्यवस्था (Caste System) : जाति व्यवस्था भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण की एक व्यवस्था है। भारत में हजारों वर्षों से सामाजिक स्तरीकरण के निर्धारण में जाति व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान है। सामाजिक सम्बन्धों एवं सा० व्यवस्था के संचालन में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। जाति व्यवस्था ने भारतीय समाज को सामाजिक विभाजन के रूप में बदला है। जाति व्यवस्था को समझने से पूर्व जाति को समझना आवश्यक है। शाब्दिक रूप से जाति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द जात: से हुई जिसका अर्थ है जन्म। अर्थात् जन्म के आधार पर ही किसी व्यक्ति का किसी समूह में सामाजिक स्थिति का निर्धारित हो जाता है। अत: शिशु का जन्म जिस समूह या जाति में होता है वह उसकी जाति हो जाती है जो आजीवन बनी रहती है जिसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता है।

मजुमदार एवं मदान के अनुसार (An Introduction to Social Anthropology) - "जाति एक बन्द वर्ग है"।

चार्ल्स कुले (Social organisation) के अनुसार "जब एक वर्ग पूर्णतया आनुवंशिक होता है, तब हम उसे जाति कहते हैं।"

जाति व्यवस्था के अन्तर्गत व्यक्ति की सदस्यता जन्म पर आधारित होती है और अपने सदस्यों में कई प्रकार के प्रतिबन्ध लगाती है।

सेनार्ट ने जाति व्यवस्था को स्पष्ट करते हुए लिखा है, "जाति व्यवस्था का तात्पर्य उस व्यवस्था से है जिसमें कोई समाज स्वयं में कई अनेक पृथक इकाइयों में विभाजित है तथा इन सभी इकाइयों के पारस्परिक सम्बन्ध उच्चता और निम्नता के क्रम में धार्मिक आधार पर निर्धारित होते है।

जी. डी. माइकेल (Dictionary of Sociology) के अनुसार "जाति व्यवस्था एक आनुवंशिक, अन्तर्विवाही और व्यावसायिक समूह की ओर संकेत करती है। इसमें अनेक कर्मकाण्डों और परम्पराओं के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का जन्म से निर्धारण करके इसमें किसी भी तरह के परिवर्तन पर निषेध लगा दिया गया।"

वास्तव में जाति व्यवस्था एक जटिल एवं व्यापक व्यवस्था है।

जाति व्यवस्था की विशेषताएं :- जाति व्यवस्था की निम्नांकित विशेषताओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है—

① जाति व्यवस्था के अन्तर्गत व्यक्ति अपने जाति के बाहर विवाह नहीं कर सकता है बल्कि केवल और केवल अपनी ही जाति में विवाह कर सकता है।

② एक जाति का दूसरी जाति के लोगों से खान-पान सम्बन्धित निश्चित प्रतिबन्ध पाये जाते है जैसे ब्राह्मण वैश्य के यहां भोजन कर सकता है, परन्तु हरिजन के यहां नहीं।

③ जाति व्यवस्था की एक विशेषता यह भी है कि पेशा या व्यवसाय का निर्धारण जाति से होता है और इसमें किसी भी तरह का परिवर्तन सम्भव नहीं है।

④ सभी जाति में ऊँच-नीच का एक निश्चित स्तरीकरण पाया जाता है। इसमें ब्राह्मणों का स्थान उच्च है तथा अन्य जातियों का इसके बाद।

⑤ प्रत्येक व्यक्ति के जाति का निर्धारण उसके जन्म के आधार पर होता है। जाति के कठोर नियमों को तोड़ने पर ही उसे जाति से बहिष्कृत किया जा सकता है।

⑥ जाति व्यवस्था की सम्पूर्ण व्यवस्था ब्राह्मणों की श्रेष्ठता एवं प्रतिष्ठा पर आधारित है।

डा० जी. एस. घुरिये के अनुसार जाति व्यवस्था की विशेषताएं :-

① समाज का खण्डनात्मक विभाजन :- भारतीय समाज को जाति व्यवस्था ने विभिन्न खण्डों में विभाजित किया और प्रत्येक खण्ड के सदस्यों की प्रस्थिति, व्यवसाय पद आदि निश्चित कर दिया गया। खण्ड विभाजन से तात्पर्य व्यक्ति की भावना केवल और केवल अपनी जाति से ही जुड़ी होती है।

② संस्तरण :- भारतीय समाज में सभी जातियों की सामाजिक स्थिति एक समान नहीं है बल्कि उनमें एक निश्चित सामाजिक संस्तरण पाया जाता है।

(3) भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबन्ध :- जाति व्यवस्था के अन्तर्गत जातियों में परस्पर भोजन एवं सामाजिक सहवास (व्यवहार) सम्बन्धित अनेक निषेध पाये जाते हैं। किस जाति के यहां किस प्रकार का भोजन करना है वह सब निर्धारित है।

(4) नागरिक एवं धार्मिक निर्योग्यताएं एवं विशेषाधिकार :- जाति व्यवस्था के अन्तर्गत उच्च जातियों को कई प्रकार के धार्मिक एवं सामाजिक विशेषाधिकार प्राप्त है जबकि निम्न या अछूत जातियों पर कई तरह के निर्योग्यताएं है।

(5) व्यावसायिक विभाजन :- व्यावसायिक विभाजन के अन्तर्गत प्रत्येक जाति का अपना व्यवसाय निश्चित है। एक जाति दूसरे जाति के व्यवसाय को नहीं अपना सकता है, उस पर कठोर प्रतिबंध लगा हुआ है।

(6) विवाह सम्बन्धी प्रतिबन्ध :- जाति व्यवस्था का सबसे कठोर नियम विवाह सम्बन्धी प्रतिबन्ध है। जाति व्यवस्था के अन्तर्गत केवल अन्तर्विवाह को ही मान्यता प्राप्त है अर्थात व्यक्ति केवल और केवल अपनी जाति में विवाह कर सकता है।

अतः स्पष्ट है कि इन सभी विशेषताओं के आधार पर जाति व्यवस्था को समझा जा सकता है।